

  
सत्यमेव जयते

# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| सं. 4820] | नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 6, 2018/अग्रहायण 15, 1940 |
| No. 4820] | NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 6, 2018/AGRAHAYANA 15, 1940 |

---

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय**

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2018

**का.आ.6049(अ).**—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसके बाद इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, गुजरात राज्य में जामनगर जिले के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड की जामनगर – लोनी पाइपलाइन (जे एल पी एल) परियोजना के लिए पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत उप समाहर्ता (एम डी एम), जामनगर जिला, गुजरात सरकार को अतिरिक्त कार्यभार आधार पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होगी।

[फा. सं. एल – 14014/76/2018 -जी.पी.-II]

राज किशोर, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th December, 2018

**S.O. 6049(E).**—In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Deputy Collector (MDM), District- Jamnagar, Government of Gujarat

---

to perform the functions of Competent Authority on additional charge basis under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Jamnagar – Loni Pipeline (JLPL) Project of GAIL (India) Limited for the areas falling in District – Jamnagar in the State of Gujarat.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F.No. L-14014/76/2018 -GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.